जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/rtiexpose/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 27 नवम्बर 2020

भाग-1

# सूचना के अधिकार का खुलेआम गला घोंट रहे नगर निगम के निरंकुश सामंती सोच वाले लोक सूचना अधिकारी!!!

## सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की गलत व्याख्या कर, सूचना देने से इनकार किया, नगर निगम के उपायुक्त श्री राष्ट्रदीप यादव ने!!



*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

# कार्यालय ग्रेटर नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ–13 ( ) उपा.आयो–II / नानि / 2020 / 153 दिनांक 12/11/2020

श्री वरूण कुमार सिंह,
"हैरीटेज प्लाजा"
एफ–3, फर्स्ट फ्लोर,
डी–82, तारानगर–डी,
झोटवाड़ा, जयपुर।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आप द्वारा दिनांक 21.10.2020 को प्रेषित आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता का विनिश्चय निम्नानुसार हैः–

आप द्वारा चाही गई सूचना मै0 हेरीटेज ड्रीम डवलपर्स प्रा0 लि0 की आवासीय योजना हैरीटेज प्लाजा, डी– 82, तारा नगर–डी, झोटवाडा, जयपुर के सम्बन्ध में आवासीय योजना से सम्बन्धित समस्त पत्रावली मय आवेदन, नक्शे,आदेश, निर्देश, परिपत्र, अनुज्ञा, नोटशीट अन्य सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, बिल्डिंग निर्माण स्वीकृति इत्यादि की सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई हैं। उक्त सूचना, उपायुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आयोजना प्रथम नगर निगम जयपुर के कार्यालय से सम्बन्धित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा (3) मे उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत अनुरोध या उसके किसी अंश को किसी अन्य लोक प्राधिकरण को ही अन्तरित किया जा सकता है तथा एक ही लोक प्राधिकरण में पदाभिहित एक राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दूसरे राज्य लोक सूचना अधिकारी का अन्तरण उक्त प्रावधान मे उपबन्धित नही है इसलिए उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में नगर निगम, जयपुर के आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 08.11.2013 के अनुसार पृथक से उपायुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आयोजना प्रथम कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(राष्ट्रदीप यादव)
उपायुक्त (आयोजना–द्वितीय) एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी
ग्रेटर नगर निगम जयपुर

Page 356

**श्री राष्ट्रदीप यादव द्वारा दिया गया जवाब!!**

## क्या है मामला?

हेरिटेज प्लाजा,डी-82तारानगर-डी,झोटवाडा निवासी वरुण कुमार सिंह द्वारा नगर निगम(ग्रेटर,जयपुर) की आयोजना शाखा ( द्वितीय) से अपनी बिल्डिंग के कागजात मांगे, उन्हें आशंका है कि बिल्डर द्वारा तय नक्शों के विपरीत निर्माण करवाया कर,बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध निर्माण और छत पर अवैध पेंटहाउस बनाया गया है|जिससे बिल्डिंग के मौजूदा फ्लेट धारकों को रोज कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है|

## लेकिन तय 30 दिनों में सुचना देने की बजाय ऐसा जवाब दिया लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव ने,जिसे सुनकर कोई आवेदक सुचना माँगना ही छोड़ दे|

आवेदककर्ता वरुण कुमार सिंह को आशा थी कि नगर निगम के अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए उक्त सूचनाएं तय 30 दिवसों में उपलब्ध करवा देंगे जिससे वह बिल्डर के विरुद्ध जल्दी अपनी क़ानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सके परन्तु जब दिनांक 25/11/2020 को लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव का जवाब प्राप्त हुआ तो वह सकते में आये बिना नहीं रह सके|

## ऐसा उट-पटांग जवाब जिसको सुनकर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा कि यह कैसा जवाब है?

अपने जवाब में नगर निगम(ग्रेटर,जयपुर) की आयोजना शाखा ( द्वितीय) के लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव ने जवाब दिया कि उक्त चाही गयी सूचनाएं उपायुक्त एवं राज्य लोक सुचना अधिकारी आयोजना प्रथम,नगर निगम जयपुर ग्रेटर के कार्यालय से सम्बंधित है|सुचना का अधिकार अधिनियम की धरा 6 ( 3 ) में उपबंधित प्रावधानानुसार अनुरोध या उसके किसी अंश को किसी अन्य लोक प्राधिकरण को ही अंतरित किया जा सकता है तथा एक ही लोक प्राधिकरण में पदाभिहित एक राज्य लोक सुचना अधिकारी द्वारा दुसरे राज्य लोक सुचना अधिकारी का अंतरण उक्त प्रावधान में उपबंधित नहीं है इसलिए उक्त बिंदु के सम्बन्ध में नगर निगम जयपुर के आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 08/11/2013 के अनुसार प्रथक से उपयुक्त राज्य लोक सुचना अधिकारी एवं आयोजना प्रथम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है|

शायद आपको भी इसे समझने में कुछ समय लगेगा,चलिए हम श्री राष्ट्रदीप यादव के कथन का भावार्थ आपको समझा देते है,श्री राष्ट्रदीप यादव के अनुसार यदि यह आवेदन या इसका भाग नगर निगम से सम्बंधित ना होकर यदि जे.डी.ए. या आवासन मंडल से सम्बंधित होता तो वह इस आवेदन को सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 ( 3 ) के अन्तरगत वहां के लोक सुचना अधिकारी को अंतरित कर देते लेकिन चूँकि यह निगम के ही अन्य लोक सुचना अधिकारी से सम्बंधित है तो वह ऐसा नहीं कर सकते( ऐसा नहीं करने के लिए उनके द्वारा नगर निगम जयपुर के आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 08/11/2013 का हवाला दिया गया है),आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य लोक सुचना अधिकारी एवं आयोजना प्रथम कार्यालय का चार्ज भी इन्ही महोदय श्री राष्ट्रदीप यादव के पास ही है|अब तो आप लोगो को " कुए में भांग मिली होना" मुहावरे का मतलब समझ आ गया होगा|वैसे यह श्रीमान शोकिया/पेशे से होम्योपेथी डॉक्टर भी है,आम जन की राय के अनुसार इनकी ऐसी कार्यशैली से तो इनको RASगिरी छोड़ कर,डॉक्टरी का पेशा ही अपना लेना चाहिए|ताकि जनता का कुछ तो भला हो सके|

## क्या कहती है सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 ( 3 ) ?

जहाँ,कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सुचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है—

१.जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है;या

२. जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से सम्बंधित है,

वहां वह लोक प्राधिकारी,जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है,ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को,जो समुचित हो,उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सुचना देगा;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अंतरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जायेगा,किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति से पांच दिनों के पश्च्यात नहीं किया जायेगा|

स्पष्ट है कि सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 ( 3 ) में ऐसी किसी गूढ़ भाषा का उपयोग नहीं किया गया है,जिस भाषा का लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव अपने पत्र में उपयोग कर रहे है|सुचना के अधिकार अधिनयम 2005 के अनुसार सुचना आवेदक को एक्ट की धारा 8 के तहत ही सुचना देने से इनकार कर सकता है|श्री राष्ट्रदीप यादव के कथनानुसार किसी सुचना आवेदक को अलग आवेदन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते|

जाहिर है इस भाषा का प्रयोग केवल और केवल आवेदक को सुचना नहीं देने के लिए किया जा रहा है क्यूंकि हो सकता है बिल्डर को इस सुचना आवेदन की भनक लग गयी हो और वह अति-विद्वान् लोक सुचना अधिकारी की सेवा कर गया हो|

## बेवजह सुचना के अधिकार में बाधा डालने वाले ऐसे नाकारा अधिकारीयों के विरुद्ध 25 हजार का जुर्माना नाकाफी,अनुशासनात्मक कार्यवाही जरुरी|

RTI कार्यकताओं की राय के अनुसार लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव का यह कृत्य जानबूझ कर सुचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने जैसा है जिसकी अपील राज्य सुचना आयोग में करने पर लोक सुचना अधिकारी श्री राष्ट्रदीप यादव के विरुद्ध अधिकतम 25 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है|वैसे भी किसी जिम्मेदार RAS अधिकारी का ऐसा कृत्य उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है,बहुधा ऐसा कृत्य ग्राम पंचायतों के कम पढ़े-लिखे ग्राम सचिवों द्वारा स्थानीय सुचना आवेदकों को टरकाने हेतु किया जाता है|अतएव नगर निगम में उपयुक्त पद पर बैठे श्री राष्ट्रदीप यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जरुरी है|

इस मामले में अब सुचना आवेदक श्री वरुण कुमार सिंह ने आर-पार की लडाई लड़ने की ठानी है,उनका कहना है कि नगर निगम जैसे पब्लिक डीलिंग करने वाले कार्यालयों में ही ऐसा होने लगेगा तो आम जनता में त्राहि-ताहि मच जायेगी|ऐसे निरंकुश और सामंती सोच वाले बडबोले अधिकारीयों को सबक सिखाना जरुरी है|जिसके लिए भविष्य में हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो वह भी किया जायेगा|